

प्रेषक, सुवर्द्धन  
अगर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)  
उत्तराखण्ड शासन।

रोवा में,  
राज्य परियोजना निदेशक,  
एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक ०१ नवम्बर, २०११

विषय: प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर हेतु प्रयोगशाला सहायकों के पद सृजन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/रा०मा०शि०अ०/१९४४/ प्र०स० /२०११

दिनांक २५ अगस्त, २०११ एवं पत्रांक रा०मा०शि०अ०/२६९५/प्र०स०/२०११-१२ दिनांक २२ सितम्बर, २०११ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विज्ञान एवं अन्य विषयों के प्रयोगिक अध्ययन तथा गुणवत्तायुक्त शैक्षिक सम्पत्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुक्रम में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउट सोर्सिंग के माध्यम से हाईस्कूल स्तर पर ०१ प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति हेतु जनपदवार निम्न १७६६ अस्थाई पदों की (जिनका जनपदवार विवरण अंकित) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद	स्वीकृत प्रयोगशाला सहायकों के पदों की संख्या
अल्मोड़ा	२०९
नागेश्वर	६९
चमोली	१५८
चम्पावत	६९
देहरादून	१३५
हरिद्वार	४८
नैनीताल	१५८
गौड़ी	२७३
पिथौरागढ़	१५१
रुद्रप्रयाग	९०
टिहरी	२१९
उधमसिंह नगर	९१
उत्तरकाशी	९६
कुल पदों की संख्या	१७६६

२- पदों की पूर्ति पूर्णत आउटसोर्सिंग के आधार पर ही की जायेगी।

*[Handwritten Signature]*

3- उक्तानुसार प्रयोगशाला सहायक के अस्थाई पदों का सृजन आरुटसोर्सिंग आधार पर नियुक्ति की तिथि से 29.3.2012 तक, इससे पहले यदि समाप्त न कर दिया जाय आवश्यकतानुसार अग्रत्तर एक-एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए नियमानुसार समयवृद्धि के प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा।

4- विशेष श्रेणी राज्य तथा सीमान्त व नया राज्य होने के आधार पर भारत सरकार से 11 वीं व 12 वीं योजना काल में केन्द्रांश 90 प्रतिशत दिये जाने के लिए समुचित स्तर पर अनुरोध/प्रयत्न किया जाय।

यह आदेश नित्त विभाग की आशासकीय संख्या- 230 (P)/XXVII-(3)/2011-12 दिनांक 08 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय  
(सुबहग)  
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रचार)

संख्या: (1) /XXIV-2/11- 6 (5)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
- 8- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 9- अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी।
- 10- सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
- 11- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा।
- 12- रागरत खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक विद्यालयी शिक्षा।
- 13- वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
- 14- माल फाइल।

आज्ञा से,  
(कवीन्द सिंह)  
अनु सचिव।